0522-2630106
0522-2630667 } (कार्या.)
0522-2630695
E-mail : jeecup@yahoo.in
jeecup17@gmail.com

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

1 गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, बाँसमन्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ

संख्या 87/ सप्रपप / परी0अनु0–(विशेष का0उ0 / शास0 संशो0) / 2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024

सेवा में,

प्रभाग–प्रमुख,
ई–काउन्सिलिंग प्रभाग,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, ए–ब्लाक,
सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

विषय: काउन्सिलिंग में प्रतिभागी अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के पश्चात अवशेष शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि काउन्सिलिंग प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में एन0आई0सी0 को पूर्व में प्रेषित शासनादेश संख्या–116 / 2023 / आई / 459155 / 2023 / 16–3099 / 12 / 2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था में शासनादेश संख्या–99 / 2024 / 1919 / 2024 / 16–3099 / 12 / 2019 दिनांक 04.09.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा एवं हित के दृष्टिगत अपेक्षित संशोधन करते हुए सत्र 2024–25 में प्रवेश आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित डिप्लोमा इंजी0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों की दिनांक 05.09.2024 से 11.09.2024 के मध्य निर्धारित छठें चरण की काउन्सिलिंग एवं अन्य आगामी चरण (फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) की काउन्सिलिंग द्वारा राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250 / – काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250 / – पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करने का अवसर प्रदान कराया गया है।

तद्क्रम में आपसे अनुरोध है कि संशोधित शासनादेश दिनांक 04.09.2024 में अवशेष शिक्षण शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 2024 में प्रवेश आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित छठें चरण की काउन्सिलिंग सहित आगामी फार्मेसी काउन्सिलिंग हेतु प्रतिभागी अभ्यर्थियों के शिक्षण शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में पोर्टल पर उपरोक्त व्यवस्था स्थापित कराते हुए छठें चरण के संशोधित शिड्यूल एवं शासनादेश दिनांक 04.09.2024 को पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: 1. संशोधित शासनादेश।
2. एवं छठें चरण की काउन्सिलिंग का शिड्यूल।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

Online (2nd Phase) Special Counselling Extra 6th Round Revised Schedule-2024

Engineering & Other Courses (Except Pharmacy Course)

(QUALIFIED Candidates of Uttar Pradesh and Other State)

S.N.	Counselling Activities	Date
1.	6th Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP & Other state (unlimited choices may be filled)	05/09/2024 to 07/09/2024
2.	6th Round seat allotment	08/09/2024
3.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	09/09/2024 to 11/09/2024
4.	6th Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	09/09/2024 to 11/09/2024
5	6th Round Admitted Seat Withdrawal	11/09/2024
6	Remaining Tution Fee Deposit in Allotted Institution	12/09/2024 to 15/09/2024
	Last Date of Admission as per AICTE Calender	**15/09/2024**

1. काउन्सिलिंग के छठे चरण में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लागिन आई0डी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
2. काउन्सिलिंग के चौथे चरण वे अभ्यर्थी जो सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाये हैं अथवा वो अभ्यर्थी जिन्हें मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण तक सीट आवंटित नहीं हो सकी है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण तक काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाये हैं वे छठे चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगें।
3. काउन्सिलिंग का छठा चरण भी पूर्व चरणों की भांति आनलाइन होगा, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित अभ्यर्थियों के साथ–साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे।
4. छठे चरण में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
5. सत्र 2024–25 में प्रवेश आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित डिप्लोमा इंजी0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों की दिनांक 05.09.2024 से 11.09.2024 के मध्य निर्धारित छठें चरण की काउन्सिलिंग एवं अन्य आगामी चरण (फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) की काउन्सिलिंग द्वारा राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/– काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/– पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा।
6. अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के छठे चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने छठे चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, परन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराया है, का संस्था/ पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा **सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी।** तदनुसार Withdrawal विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड की

जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

7. आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट Withdrawal के विकल्प का चयन कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से प्राप्त होगी।

8. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु शासन/फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ0प्र0 द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण संज्ञान में आने पर सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

10. छठे चरण की काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिर्पोटिंग दिनांक 12.09.2024 तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यार्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

11. छठे चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 15.09.2024 तक अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप में रिर्पोटिंग (उपस्थिति) दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–116/2023/आई/459155/2023–16–3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 एवं तदसम्बन्ध में संशोधित शासनादेश संख्या–99/2024/1919/2024/16–3099/12/2019 दिनांक 04.09.2024 की व्यवस्था के अनुपालन में ऑनलाइन काउन्सिलिंग का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ई-मेल

अतिमहत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 99/2024/1919/2024/16-3099/12/2019

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ** **दिनांक- 04 सितम्बर, 2024**

विषय- प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-867/संप्रपप/परी0अनु0-(शा0संशो0)/2024, दिनांक 04.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के संबंध में आपके पत्र संख्या-867/संप्रपप/परी0अनु0-(शा0संशो0)/2024, दिनांक 04.09.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था में निम्नवत् विवरणानुसार संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश संख्या-116/2023/आई/ 459155/2023/ 16-3099/12/2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था	शासनादेश संख्या-116/2023/आई/ 459155/ 2023/ 16-3099/12/2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c की संशोधित व्यवस्था
a) अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू0 3000/- एवं रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात् कुल रू0 3250/- ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। b) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर	सत्र 2024-25 में प्रवेश आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित डिप्लोमा इंजी0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों की दिनांक 05.09.2024 से 13.09.2024 के मध्य निर्धारित छठें चरण की काउन्सिलिंग एवं अन्य आगामी चरण (फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) की काउन्सिलिंग द्वारा राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/-काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित

सीट एक्सेपटेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/- पोर्टल पर जमा करना होगा, तदोपरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करना होगा। c) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे।	समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा।

3. उपर्युक्त सीमा तक उक्त शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/ 2019 दिनांक 29.12.2023 को संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
9. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक/डिप्लोमा संस्थाएं (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in